

No.2017/HQ/Admin/RTI-74

New Delhi: 16.05.2017

Sh. KAMAL,
Village: i.j. urf moujpur
Khurja Junction,
Dist. Bulandshahr,
Uttar Pradesh-203 132.
Mobile No. 9761-399-424.

To be emailed - kamal.rajora1996@gmail.com

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
Providing information under the RTI Act 2005
Ref: Your original application dated 28.10.2016 received through Railway Board
(Ministry of Railways) on 27.03.2017.

The Information received from the concerned office is as under:

प्राप्त उत्तर/received reply:

रेल संशोधन अधिनियम 2008 की धारा – 20(ए) के तहत सरकार द्वारा दिनांक 02.09.2009 को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर हेतु खुर्जा की जमीन अधिगृहीत की गई है तथा वर्तमान समय में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर हेतु ग्राम – आई0 जे0 उर्फ मौजपुर जिला-बुलन्दशहर की जमीन का अधिग्रहण के लिए कोई भी अधिसूचना प्रकाशित नहीं है; जिसका अभिनिर्णय होना लम्बित हो।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, गुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, नई दिल्ली-110001 है जिन्हें आवेदक इस आर टी आई उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निःशुल्क अपील कर सकता है।



(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI

copy to: cfm/meerut